

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 303/18

सरकार

बनाम

श्री: डालचन्द शी
रामसदथ जाति खरवा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 27/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री डालचन्द पुत्र श्री रामसदथ जाति खरवा निवासी खलीन तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रवि / खरीफ में ग्राम खलीन की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 खरवा किरम 14.98 रकबा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिचार कर लिया है।
कनाकर

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है। भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.88 का 50 गुना 44 की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है। पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-तहसीलदार

महवा जिला दौसा

रजिस्टर नं/प के पेज नं० 27 पर
वर्ष 2017-18 की
की जा...
दिनांक 5/3/18
तहसील-महवा